फर्द अहकाम

(नियम 26)

2020/00231

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री हितेन्द्रसिंह पुत्र स्व. श्री हरिसिंह जाति राजपूत निवासी कृष्णपुरी सिरोही जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिरोही / आबूपर्वत / शिवगंज / पिण्डवाड़ा / रेवदर

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 33 वर्ष 2020

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
10.08.2020	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी जल संसाधन विभाग सिरोही को दिनॉक 05.09.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि 1. एन जी टी न्यायालय द्वारा विगत दो वर्षो में दिए गए आदेश की प्रति एवं की गई कार्यवाही की प्रति 2. हाईकोर्ट द्वारा सुओमोटो बनाम राज्य सरकार के आदेश की अनुपालना में आज तक की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपी से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी जल संसाधन विभाग सिरोही को दिनॉक 05.09.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि 1. एन जी टी न्यायालय द्वारा विगत दो वर्षो में दिए गए आदेश की प्रति एवं की गई कार्यवाही की प्रति 2. हाईकोर्ट द्वारा सुओमोटो बनाम राज्य सरकार के आदेश की अनुपालना में आज तक की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपी से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। जल संसाधन विभाग द्वारा उक्त सूचना के बिन्दु सं. 2 की सूचना समस्त उपखण्ड अधिकारी कार्यालयों से सम्बन्धित होने के कारण जरिये पत्र क्रं. 5136 दिनांक 06.09.2019 द्वारा उपखण्ड अधिकारियों को भेजा गया। अतः अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिरोही / आबूपर्वत / शिवगंज / पिण्डवाड़ा / रेवदर को आदेशित किया [illegible] समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना [illegible] में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही	267-72 13/8/20

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 16:48:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner